

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

॥ शुद्धि पत्र ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-01/श्रम स्थानान्तरण-15/2026 श्र०सं०...../विभागीय अधिसूचना सं० 13 दिनांक 30.06.2026 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

(i) कंडिका सं०-3 में अंकित क्र०सं०-4 को विलोपित किया जाता है। अतएव क्र०सं०-4 पर अंकित पदाधिकारी को स्थानान्तरण भत्ता देय होगा।

(ii) क्र०सं०-35 के स्तंभ-4 में अंकित "श्रम अधीक्षक, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना" को "श्रम अधीक्षक (निर्माण श्रमिक), बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना" पढ़ा जाय।

2. विभागीय अधिसूचना सं० 13 दिनांक 30.06.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(उपेन्द्र प्रसाद)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-01/श्रम स्थानान्तरण-15/2026.....³⁴...../श्र०सं० पटना-01, दिनांक-10/8/26

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना तथा आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/08/2026

सरकार के विशेष सचिव